

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का त्रिगारिया बनाम कोसा ७१० अलराम अर्धर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

वमनपुरा

प्रकरण संख्या :- 39/2017

निर्णय दिनांक :- 26/10/2017

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम वमनपुरा की आ.ख.न. 161 कुल रकबा 1-57 किस्म जमीन गोखु में से 0-01 रकबे पर श्री कोसा ७१० अलराम अर्धर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का त्रिगारिया द्वारा दिनांक 29/9/17 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. खंडातग के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी कोसा ७१० अलराम जाति अर्धर निवासी वमनपुरा को भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी कोसा उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 161 रकबा 1-57 में से 0-01 रकबे किस्म गोखु है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वैरसायस को अतिक्रमित रकबे से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Paize का 50 गुणा 3/- रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी त्रिगारिया भू.अ.निरी. खंडातग को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/10/17

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)